

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2009]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

No. 2009]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2688(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना/ जोन जी हेतु जोनल विकास योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.12.2010 की का.आ. 3044(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है, और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

**संशोधन:**

ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अवस्थिति	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	दि.मु.यो-2021 के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	रोहतक रोड और बाहरी रिंग रोड, पश्चिम विहार के चौराहे पर विद्यमान पार्क	2.43	आवासीय (आरडी)	मनोरंजनात्मक (पी2-जिला पार्क)	<b>उत्तर:</b> रोहतक रोड <b>दक्षिण :</b> आवासीय <b>पूर्व:</b> आवासीय <b>पश्चिम:</b> बाहरी रिंग रोड

[फा. सं. के-13011/27/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(Delhi Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2016

**S.O. 2688(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan of Zone-G regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3044(E) dated 24.12.2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2 Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications, have been considered by the Delhi Development Authority, and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The details are as under:

Sl. No	Location	Area (in Ha)	Land Use as per MPD 2021	Land Use changed to	Boundaries
1.	Existing Park at the crossing of Rohtak Road at Outer Ring Road, Pachim Vihar in Zone 'G'	2.43	Residential (RD)	Recreational (P2-District Park)	<b>North :</b> Rohtak Road <b>South:</b> Residential <b>East:</b> Residential <b>West:</b> Outer Ring Road

[F. No. K-13011/27/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.